कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांकः 156/तीन–18–1/2023 महासमुन्द, दिनांक 29/11/2023

इस जिला स्थापना के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 01/2023 दिनांक 21.06.2023 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 03/2023 दिनांक 12.07.2023 के परिपेक्ष्य में भर्ती चयन समिति महासमुन्द की अनुशंसा दिनांक 28.11.2023 के आधार पर चयनित निम्नांकित उम्मीदवार को **भृत्य (संविदा)** के पद पर एकमुश्त संविदा वेतन रूपए 11360/– प्र.मा. में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन किया जाता है :–

क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम पिता का नाम एवं पता	चयनित वर्ग
1	योगेश यादव पिता श्री लोकेश यादव पता–श्रीराम चौक, टिकरापारा, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन–492001	अनारक्षित (मुक्त)

नियुक्ति की शर्तें –

1. उपरोक्त चयनित उम्मीदवार को आदेश प्राप्ति से अधिकतम 15 दिवस के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
2. चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करते समय सेवापुस्तिका (दो प्रतियों में) एवं मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज जो आवेदन के साथ संलग्न है, कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा । शैक्षणिक अथवा अन्य दस्तावेज किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी ।
3. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि वे उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी ।
4. चरित्र सत्यापन में अथवा किसी अन्य माध्यम से यह प्रकट होता है कि पदधारी की किसी प्रकार के अपराध में संलिप्तता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा ।

5. सेवा अवधि के दौरान कार्य, व्यवहार तथा आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर अथवा किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी ।
6. उनकी सेवाएं कभी भी बिना कोई कारण बताए एक माह की पूर्व सूचना देकर अथवा एक माह के वेतन का भुगतान कर उन्हें तत्काल सेवामुक्त किया जा सकेगा। यदि वे स्वयं शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा एक माह का वेतन एवं भत्ते की राशि शासकीय कोष में जमा कर किसी भी समय सेवा छोड़ सकेंगे ।
7. सेवा के प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी । आगे नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा । अन्य विभागों में नौकरी के लिए आवेदन पत्र कार्यालय के बगैर अनुमति के प्रस्तुत नहीं करेंगे ।
8. कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु उपरोक्त संविदा पद तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा तक या एक वर्ष जो भी पहले हो तक होगी, उपरोक्त संविदा पद अधिकतम पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।

सही/–
(भीष्म प्रसाद पाण्डेय)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
महासमुन्द (छ.ग.)

<u>पृष्ठांकन क्रमांक /तीन–18–1/2023</u> <u>महासमुन्द, दिनांक 29/11/2023</u>

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
2. अध्यक्ष, भर्ती चयन समिति/प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द
3. जिला कोषालय अधिकारी, महासमुन्द
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महासमुन्द
5. लेखापाल, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द
6. योगेश यादव पिता श्री लोकेश यादव, पता–श्रीराम चौक, टिकरापारा, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन–492001

सही/–
(भीष्म प्रसाद पाण्डेय)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
महासमुन्द (छ.ग.)